2019 का विधेयक संख्यांक 181

[दि राइट टू इन्फोरमेशन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
का और संशोधन
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सतरहवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे ।

धारा 13 का संशोधन ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 13 में,-- 2005 का 22

(क) उपधारा (1) में, "उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था ।"।

धारा 16 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 16 में,--

(क) उपधारा (1) में, "उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए" शब्दों के स्थान पर "ऐसी अवधि के लिए जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (5) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :--

"(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाएं :

परंतु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में, उनकी नियुक्ति के पश्चात्, उनके लिए अफायदाप्रद रूप से कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ से पूर्व नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों द्वारा शासित होना जारी रहेगा मानो सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू ही नहीं हुआ था ।"।

धारा 27 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 27 की उपधारा (2) में खंड (ग) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"(गक) धारा 13 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त तथा धारा 16 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि ;

(गख) धारा 13 की उपधारा (5) के अधीन मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा धारा 16 की उपधारा (5) के अधीन राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ;"।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (अधिनियम) लोक प्राधिकारियों के नियंत्रण के अधीन सूचना तक पहुंच प्रदान करने के लिए नागरिकों को सूचना के अधिकार की व्यवहारिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए ताकि प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और जवाबदेही का संवर्धन किया जा सके और उससे संबंधित और आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. अधिनियम की धारा 13 मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की पदावधि और सेवा शर्तों का उपबंध करती है । ये, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । यह और उपबंध करती है कि मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें क्रमश: मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त के समान होंगी । इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 16 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि का उपबंध करती है । ये, अन्य बातों के साथ, उपबंध करती है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे बासठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेंगे और पुन: नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे । यह और उपबंध करती है कि राज्य मुख्य आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें राज्य सरकार के क्रमश: निर्वाचन आयुक्त और मुख्य सचिव के समान होंगी ।

3. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों का वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हैं, अतः मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अपने वेतन और भत्तों तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों के निबंधनों में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य हो जाते हैं ।

4. भारत निर्वाचन आयोग और केंद्रीय तथा राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा किए जाने वाले कृत्य पूर्णतः भिन्न है । निर्वाचन आयोग संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड (1) के अधीन स्थापित सांविधानिक निकाय है और यह संसद् और प्रत्येक राज्य विधान मंडल के निर्वाचनों का संचालन करने के लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी के अधीक्षण, निदेश और नियंत्रण के लिए तथा संविधान के अधीन राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का निर्वाचन कराने के लिए उत्तरदायी है । दूसरी ओर केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंधों के अधीन स्थापित कानूनी निकाय हैं । इसलिए, भारत निर्वाचन आयोग तथा केंद्रीय और राज्य सूचना आयोगों का अधिदेश भिन्न है । अत:, उनकी प्रास्थिति और सेवा शर्तों को तदनुसार सुव्यवस्थित करने की आवश्यकता है ।

5. पूर्वोक्त को ध्यान में रखते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिससे यह उपबंध किया जा सके कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों तथा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वे होंगी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली :
15 जुलाई, 2019

जितेन्द्र सिंह

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों को विहित करने के लिए समर्थ बनाया जा सके ।

2. वे विषय जिनके संबंध में प्रस्तावित विधान के अधीन नियम बनाए जा सकेंगे प्रक्रिया या प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और विधेयक में ही उनके लिए उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का अधिनियम संख्यांक 22) से उद्धरण

* * * * * *

पदावधि और सेवा शर्तें ।

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें–

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं :

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर, सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर

रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

पदावधि और सेवा की शर्तें ।

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा ।

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

* * * * * *

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें–

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं ;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं :

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन

स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी :

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

* * * * * *

MGIPMRND—1640LS(CRC)—16-7-2019.